राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी— सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या — 20 / 2016 **जीसीएमएस नम्बर — 2016 / 00146**

1. दिनेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 52 साल
2. रमन शर्मा दत्तक पुत्र हजारी लाल उम्र 8 साल नाबालिग जरिये संरक्षक वादमित्र माता मंजू देवी पत्नी संजय कुमार जाति ब्राहमण निवासीगण निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.................वादीगण

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नी रामकुमार
2. बिमलादेवी पुत्री रामकुमार
3. पतासी पुत्री रामकुमार
4. जड़ाव पत्नी सुरजन सिंह
5. रणधीर पुत्र सुरजन सिंह
6. चांदपाल पुत्र सुरजन सिंह
7. सुवा पुत्री सुरजन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
8. उप पंजीयक, बुहाना तहसील बुहाना।
9. पीरू सिंह
10. गिरवर सिंह
11. रघुवीर सिंह पुत्रान कालू सिंह जाति राजपूत निवासीगण निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
12. नरपाल सिंह
13. विनोद सिंह
14. शेर सिंह पुत्रान पिरू सिंह निवासीगण निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
15. उगम कंवर पत्नी पीरू सिंह जाति रजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
16. धर्मेन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

17. जितेन्द्र सिंह पुत्रान छाजू सिंह जाति राजपूत निवासीगण निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
18. बिमला पत्नी छाजू सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
19. गोकल सिंह
20. कल्याण सिंह
21. हरद्वारी सिंह
22. रघुवीर सिंह पुत्रान प्रभूसिंह जाति राजपूत निवासीगण निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
23. जगवीर सिंह पुत्र सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
24. सज्जना पत्नी रामोतार सिंह पुत्रवधु सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
25. पीरू सिंह
26. उम्मेद सिंह पुत्रान अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
27. सुरजी देवी पत्नी अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
28. जगराम
29. मदन सिंह
30. राजू
31. सुरेन्द्र सिंह
32. महेन्द्र सिंह पुत्रान झुथासिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
33. भान सिंह पुत्र लाल सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
34. जयसिंह
35. सवाई सिंह
36. राकेश पुत्रान सेडू सिंह जाति [illegible] तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
37. हरकेश पुत्र मुंशी (नवीरा सेडू [illegible] निवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
38. रतन सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

39. कानसिंह पुत्रान सूरजन सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
40. राजेश सिंह पुत्र सूरज सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
41. प्रताप सिंह
42. भंवर सिंह पुत्रान हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
43. उर्मिला देवी पत्नी हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
44. बनवारी सिंह
45. रामकिशन सिंह पुत्रान उमराव सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
46. हजारी सिंह
47. देवी सिंह पुत्रान भानुसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
48. बनवारी सिंह (फौत)
48/1 कैला पत्नी बनवारी सिंह उम्र 65 साल जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
49. सांवत सिंह
50. मंगल सिंह पुत्रान गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
51. प्रहलाद सिंह पुत्र जीवन सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
52. रामचन्द्र सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
53. निरंजन लाल (फौत)
53/1 राकेश कुमार पुत्र निरंजन लाल उम्र 37 साल
53/2 राजेश कुमार पुत्र निरंजन लाल उम्र [illegible] साल
53/3 सुमित्रा देवी पत्नी निरंजन लाल उम्र 60 [illegible] निवासी निम्बास तहसील
53/4 विमला पुत्री निरंजन लाल [illegible]
53/5 सुनिता पुत्री निरंजन लाल उम्र 23 साल [illegible]
बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
54. रामानन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

55. सुमेर लाल पुत्रान सागरमल जाति ब्राहमण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
56. जगनाराम पुत्र जोहरीमल जाति ब्राहमण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
57. बिमला देवी पत्नी मुंशी सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
58. भंवरी देवी पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
59. अमरसिंह
60. बाबूसिंह
61. महेन्द्र सिंह
62. सोहन सिंह
63. दलीप सिंह पुत्रान नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
64. हरिसिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
65. सुभाष पुत्र मूल सिंह
66. राजेन्द्र पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
67. गिरधारी लाल **(फौत)**
67 / 1 ग्यारसी देवी पत्नी गिरधारी लाल उम्र 70 साल
67 / 2 प्रदीप पुत्र गिरधारी लाल उम्र 50 साल
67 / 3 रमेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल उम्र 45 साल
67 / 4 नरेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल उम्र 40 साल
67 / 5 सन्तोष पुत्री गिरधारी लाल उम्र 52 साल
67 / 6 उर्मिला पुत्री गिरधारी लाल उम्र 47 साल
67 / 7 निलम पुत्री गिरधारी लाल उम्र 30 साल जाति ब्राहमण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
68. बद्रीप्रसाद
69. सांवरमल
70. गोविन्दराम पुत्रान पोकरमल (फौत)
70 / 1 लक्ष्मी देवी पत्नी गोविन्दराम उम्र 65 साल
70 / 2 सुमित पुत्र गोविन्दराम उम्र 30 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

70/3 किरण पुत्री गोविन्दराम उम्र 33 साल

70/4 मिन्टु पुत्री गोविन्दराम उम्र 40 साल जाति ब्राह्मण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

71. अजय

72. राजू

73. विजय

74. संजय पुत्रान प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

75. निलम पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

76. सुशीला पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

77. हीरालाल

78. विश्वनाथ पुत्रान भरथाराम जाति ब्राह्मण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

79. रामस्वरूप पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

80. निरंजन पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

81. रामनिवास **(फौत)**

81/1 सन्तरा देवी पत्नी रामनिवास उम्र 62 साल

81/2 राजेश पुत्र रामनिवास उम्र 40 साल

81/3 सुनिल पुत्र रामनिवास उम्र 30 साल

81/4 प्रमिला पुत्री रामनिवास उम्र 38 साल जाति ब्राह्मण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

82. श्यामसुन्दर

83. ब्रहमानन्द पुत्रान सुरजाराम जाति ब्राहमण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

84. कुन्ता देवी पत्नी रामोतार जाति ब्राह्मण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

85. मुकेश कुमार पुत्र रामोतार

86. निजू पुत्री रामोतार जाति ब्राह्मण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

87. गीता देवी पत्नी सुमेर सिंह **(फौत)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

87/1 छाजू सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति ब्राहमण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

88. बिमला

89. नानडी पुत्रियान सुमेर सिंह

90. छाजू सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति ब्राहमण निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

91. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती,

खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :– **दिनांक** –25/3/25

1. वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम निम्बास स्थित खातेदारी काश्त की भूमि गत ख.नं. 33 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा के खातेदार काश्तकार रामकुमार पुत्र सुरजन सिंह (सही नाम रामकुमार सिंह, सुरजन सिंह पुत्रान शिम्भु सिंह) जो संवत् 2031 से 2034 में दुरूस्त हो चुका है, दर्ज रिकार्ड काश्तकार खातेदार संवत् 2012 में था जिसका उक्त भूमि में 1/3 भाग हिस्सा दर हिस्सा 1 आना था।
2. उपरोक्त आराजियात में उक्त खातेदार रामकुमार सिंह ने अपने 1/6 भाग दर हिस्सा 1 आना में से सम्पूर्ण हिस्सा 8 बिस्वा भूमि दिनांक 11.02.1966 को वादीगण के पिता जगदीश प्रसाद हजारीलाल पुत्रान पोकरमल को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया था व दिनांक 29.05.1974 को खातेदार सुरजन सिंह ने भी अपना सम्पूर्ण हिस्सा 8 बिस्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र वादीगण के पिता जगदीश व हजारी लाल के नाम विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया था अर्थात् वादवर्णित भूमि के गत ख.नं. 33 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा में रामकुमार सिंह, सुरजन सिंह पुत्रान शिम्भु सिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जो कुल 16 बिस्वा अर्थात् 0.20 है. बनता है का वादीगण के पिता के हक में बेचान कर रजिस्ट्री करवादी थी इस भूमि में उनका कोई हिस्सा शेष नहीं रहा था। कब्जा क्रेतागण का 16 बिस्वा भूमि पर करवा दिया था जो शांतिपूर्वक चला आ रहा है।
3. यह कि संवत् 2027 से 2030 में राजस्व विभाग द्वारा उक्त दोनों विक्रय पत्रों की भूमि 16 बिस्वा क्रेतागणों अर्थात् जगदीश प्रसाद, हजारी लाल के नाम जमाबन्दी में दर्ज कर दिया लेकिन आगे की जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 में जगदीश प्रसाद, हजारी लाल पुत्रान पोकरमल के साथ रामकुमार सिंह, सुरजन सिंह का भी नाम 16 बिस्वा भूमि में दर्ज कर दिया। जबकि रामकुमार सिंह व सुरजन सिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया। इसलिए उनका नाम जमाबन्दी से हजफ किया जाना था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

संवत 2034 से 2038 तक बन्दोबस्त विभाग की कार्यवाही चली जिसके बाद उक्त
भूमि गत ख.नं. 33 से नये ख.नं. 74 रकबा 0.15 है., ख.नं. 75 रकबा 0.35 है., ख.नं. 76
रकबा 0.30 है., ख.नं. 77 रकबा 0.30 है., ख.नं. 78 रकबा 0.29 है., ख.नं. 79 रकबा 0.
26 है., ख.नं. 80 रकबा 0.30 है., ख.नं. 81 रकबा 0.34 है., ख.नं. 82 रकबा 0.50 है., ख.
नं. 83 रकबा 0.40 है., ख.नं. 84 रकबा 0.13 है., ख.नं. 85 रकबा 0.36 है., ख.नं. 86
रकबा 0.26 है., ख.नं. 87 रकबा 0.35 है., ख.नं. 88 रकबा 0.30 है., ख.नं. 89 रकबा 0.
82 है., ख.नं. 91 रकबा 0.28 है., ख.नं. 92 रकबा 0.47 है., ख.नं. 93 रकबा 0.35 है., ख.
नं. 100 रकबा 0.48 है., ख.नं. 101 रकबा 0.20 है., ख.नं. 192/94 रकबा 0.15 है. कुल
किता 23 कुल रकबा 7.43 है. निर्मित किये गये इस भूमि में रामकुमार सिंह, सुरजन
सिंह पुत्रान शम्भुसिंह, जगदीश प्रसाद, हजारी लाल पुत्रान पोकरमल हिस्सा 1/4 दर्ज
किया गया जबकि रामकुमार सिंह, सुरजन सिंह ने तो सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया।
लेकिन उनका नाम हजफ ना करके वादीगण के पिता के नाम के साथ ही सहखातेदार
दर्ज रह गया जो हटवाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।
इसके बाद संवत् 2048 से 2050 की जमाबन्दी में खातेदार कालु सिंह के वारिशान मु.
कमला देवी पत्नी कालुसिंह, पीरू सिंह, गिरधर सिंह, रघुवीर सिंह पुत्रान कालु सिंह ने
अपना सम्पूर्ण हिस्सा ख.नं. 81 रकबा 0.14 है., ख.नं. 82 रकबा 0.50 है., ख.नं. 83 रकबा
0.40 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 है. रामबिलास पुत्र जुहरीमल को जरिये इंतकाल
नं. 68 दिनांक 14.06.1993 को बेचान कर रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका है तथा
विवादित भूमि से खाता भी अलग हो चुका है जिसके साथ ख.नं. 89 रकबा 0.82 है. भी
अलग हो चुका है इसके बावजूद भी उक्त कालु सिंह के वारिशान प्रतिवादी स. 1 का
नाम जमाबन्दी में बदस्तुर चला आ रहा है जिसे हजफ किया जाना आवश्यक न्यायोचित
है। जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में उक्त प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 के हकपूर्वाधिकारी
रामकुमार सिंह व सुरजन सिंह के हिस्से में 1/12 दर हिस्सा 1 आना दर्ज करदी व
जगदीश प्रसाद हजारी लाल पुत्रान पोकरमल के हिस्से में 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया।
जबकि सम्पूर्ण 1/3 भाग पर वादीगण काबिज है अर्थात् रामकुमार सिंह, सुरजन सिंह
का नाम 2027 में ही हजफ हो जाना चाहिए था लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों
की लापरवाही से सहवन से वह बदस्तुर चला आ रहा है जिसे हजफ किया जाना
आवश्यक व न्यायोचित है।
यह कि उक्त रामकुमार सिंह व सुरजन सिंह का देहान्त हो चुका है तथा जमाबन्दी में
उनका नाम दर्ज भूमि का इंतकाल उनके वारिशानों के नाम जो प्रतिवादी सं.1 लगा. 7
है के नाम 1/24, 1/24 भाग दर्ज हो गया। जबकि मौके पर ना तो उनका कहीं
कब्जा है ना ही कानूनन उनका हिस्सा है। लेकिन ... कही कब्जा है ना
ही कानूनन उनका हिस्सा है लेकिन सहवन से उनका नाम जमाबन्दी में दर्ज रह जाने
से वादीगण जो क्रेता जगदीश प्रसाद ... भारी हकतलफी
है तथा इसलिए प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 को ... से पाबन्द किया जाना
आवश्यक है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना करें व किसी प्रकार का
रहन, बेचान ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :-

(क) ग्राम निम्बास स्थित खातेदारी जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के ख.नं. 74 रकबा 0.15 है., ख.नं. 75 रकबा 0.35 है., ख.नं. 76 रकबा 0.30 है., ख.नं. 77 रकबा 0.30 है., ख.नं. 78 रकबा 0.29 है., ख.नं. 79 रकबा 0.26 है., ख.नं. 80 रकबा 0.30 है., ख.नं. 84 रकबा 0.13 है., ख.नं. 85 रकबा 0.36 है., ख.नं. 86 रकबा 0.26 है., ख.नं. 87 रकबा 0.35 है., ख.नं. 88 रकबा 0.30 है., ख.नं. 91 रकबा 0.28 है., ख.नं. 92 रकबा 0.47 है., ख.नं. 93 रकबा 0.35 है., ख.नं. 98 रकबा 0.12 है., ख.नं. 100 रकबा 0.45 है., ख.नं. 101 रकबा 0.20 है., ख.नं. 192/94 रकबा 0.15 है. कुल किता 19 कुल रकबा 5.37 है. भूमि में वादीगण को जमाबन्दी के खातेदार जगदीश प्रसाद की बजाय दिनेश कुमार व हजारी लाल की बजाय रमन शर्मा को विरासतन खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व जमाबन्दी के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 का 1/12 भाग भूमि से नाम हजफ किया जाकर जो उनके हकपूर्वाधिकारी रामकुमार व सुरजन सिंह द्वारा बेची गई है का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम 1/3 भाग भूमि दर हिस्सा 1 आना दर्ज की जावे।

(ख) विवादित भूमि में से वादीगण का 1/3 भाग दर हिस्सा 1 आना का खाता विभाजन किया जाकर वादी सं. 1 का 1/6 भाग व वादी सं. 2 का 1/6 भाग दर हिस्सा 1 आना का खाता अलग किया जाकर लगान भी अलग से कायम किया जावे।

(ग) प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी पैदा ना करें व प्रतिवादी सं. 8 को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित भूमि के किसी भाग या हिस्से का दौरान वाद विक्रय पत्र रहन, दान का तस्दीक ना करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 71 से 74 ने इकबाली जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम निम्बास स्थित खातेदारी जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के ख.नं. 74 रकबा 0.15 है., ख.नं. 75 रकबा 0.35 है., ख.नं. 76 रकबा 0.30 है., ख.नं. 77 रकबा 0.30 है., ख.नं. 78 रकबा 0.29 है., ख.नं. 79 रकबा 0.26 है., ख.नं. 80 रकबा 0.30 है., ख.नं. 84 रकबा 0.13 है., ख.नं. 85 रकबा 0.36 है., ख.नं. 86 रकबा 0.26 है., ख.नं. 87 रकबा 0.35 है., ख.नं. 88 रकबा 0.30 है., ख.नं. 91 रकबा 0.28 है., ख.नं. 92 रकबा 0.47 है., ख.नं. 93 रकबा 0.35 है., ख.नं. 98 रकबा 0.12 है., ख.नं. 100 रकबा 0.45 है., ख.नं. 101 रकबा 0.20 है., ख.नं. 192/94 रकबा 0.15 है. कुल किता 19 कुलरकबा 5.37 है. में जवाबदाता/प्रतिदावा कर्ता विरासतन प्रत्येक का संयुक्त रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

से 3/640 हिस्सा है। प्रतिदावाकर्ता ने अपने उक्त हिस्से का बाहमी बंटवारा कर रखा है। मौके पर कब्जे काश्त व हिस्से के अनुसार विभाजन करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण सं. 1 से 70 व 75 से 91 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2012, संवत् 2017–20, संवत् 2031–34, संवत् 2044–47, संवत् 2048–51, संवत् 2052–55, फोटो प्रति बिचौती पत्र पेश किये गये हैं। साथ ही वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 का नाम हजफ करने बाबत अनुतोष चाहा था चूंकि उक्त प्रतिवादीगण ने अपना हिस्सा जो जमाबन्दी खाता सं. 50 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये विक्रय पत्र के अजय कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहमण निवासी निम्बास को विक्रय कर दिया अब उनका कुछ शेष नही रहा इसलिए वादीगण को घोषणा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अनुतोष सं. क में प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष डिलिट किया जाकर जमाबन्दी के खातेदार जगदीश प्रसाद व हजारी लाल के वारिशान वादी सं. 1 व 2 को विरासतन खातेदार दर्ज करते हुए हिस्से अनुसार खाता विभाजन किया जाना शेष रहा है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 द्वारा भूमि बेचान कर देने से वादीगण के हिस्सों प कोई प्रभाव नहीं रहा है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादीगण ने वाद पत्र के अनुतोष मद सं. (क) घोषणात्मक खातेदारी जरिये प्रार्थना पत्र प्रत्याहरित कर लिया है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 50 में पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी सं. 71 लगा. 74 का खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। अतः न्यायाल वाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 71 लगा. 74 का बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.10.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 461 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रां[illegible] दिनांक 04.09.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल [illegible] प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन [illegible] अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

[illegible]

बहस के अनुसार [illegible] दस्तावेज [illegible] में [illegible] ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर [illegible] अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। [illegible] जमाबंदी संवत 2075–2078 वाके ग्राम [illegible] वादीगण व प्रतिवादी सं. 71 लगा. 74 के दर्ज [illegible] वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 71 लगायत 74 [illegible] जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम [illegible] तहसील बुहाना [illegible] संख्या 50 के खसरा नम्बर 100, खसरा नम्बर 101, खसरा नम्बर 192/[illegible] 74, खसरा नम्बर 75, खसरा नम्बर 78, खसरा नम्बर में वादीगण [illegible] से खाता विभाजन कर लगान अलग 77, खसरा नम्बर 84, खसरा नम्बर [illegible] नम्बर 88, खसरा नम्बर 87, खसरा नम्बर 88, खसरा नम्बर [illegible] नम्बर 93, खसरा नम्बर 98 किता 16 कुल रकबा 4.52 है भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 71 लगा. 74 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित [illegible] है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर अनुमानित लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। [illegible] सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 28/3/24 को [illegible]
न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

गूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुमन देवी II आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:– 20/2016 जीसीएमएस वाद संख्या : 2016/00146

दिनेश शर्मा आदि बनाम शांति आदि

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 71 से 74 की ओर से श्री सुशील वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 71 लगायत 74 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम निम्बास तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता संख्या 50 के खसरा नम्बर 100, खसरा नम्बर 101, खसरा नम्बर 192/94, खसरा नम्बर 74, खसरा नम्बर 75, खसरा नम्बर 76, खसरा नम्बर में वादीगण संयुक्त रूप से अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग 77, खसरा नम्बर 84, खसरा नम्बर 85, खसरा नम्बर 86, खसरा नम्बर 87, खसरा नम्बर 88, खसरा नम्बर 91, खसरा नम्बर 92, खसरा नम्बर 93, खसरा नम्बर 98 किता 16 कुल रकबा 4.52 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 71 लगा. 74 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 25/3/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)